

सं0 सं0-एस0आई0पी0बी0 201700135.....
सेवा में,

दिनांक—

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स जी0एच0एस0पी0एल0 मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर एल0एल0पी0 द्वारा कांटी, मुजफ्फरपुर में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थकेयर हॉस्पिटल ईकाई की स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्तन शुल्क अनुदान रु0 17,23,200/- (मात्र सतरह लाख तेरह सौ रुपए) एवं निबंधन शुल्क अनुदान रु0 13,85,585/- (तेरह लाख पचासी हजार पाँच सौ पचासी) अर्थात् कुल रु0 31,08,785/- (एकतीस लाख आठ हजार सात सौ पचासी रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स जी0एच0एस0पी0एल0 मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर एल0एल0पी0 द्वारा कांटी, मुजफ्फरपुर में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थकेयर हॉस्पिटल ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक दिनांक 15.02.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 13.10.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई हेल्थकेयर प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1157, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा श्री संजीत कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर द्वारा ईकाइयों का रथल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए रथल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 26.09.2016 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मेसर्स जी0एच0एस0पी0एल0 मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर एल0एल0पी0 द्वारा कांटी, मुजफ्फरपुर में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थकेयर हॉस्पिटल ईकाई की स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्तन शुल्क अनुदान रु0 17,23,200/- (मात्र सतरह लाख तेरह सौ रुपए) एवं निबंधन शुल्क अनुदान रु0 13,85,585/- (तेरह लाख पचासी हजार पाँच सौ पचासी) अर्थात् कुल रु0 31,08,785/- (एकतीस लाख आठ हजार सात सौ पचासी रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री / लीज / हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन 'राज्यादेश सं0-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोर्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान जी०ए०च०ए०स०पी०ए०ल० मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर एल०ए०ल०पी०, मुजफ्फरपुर को उनके इलाहाबाद बैंक, जे०ए०ल० नेहरू रोड ब्रांच ,7, चौरिघी रोड, कोलकाता-700013 के खाता संख्या-50390290553, IFSC Code-ALLA0211708 में RTGS/NEFT/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700135.....

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700135.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700135..... *2866*

दिनांक—*16.8.18*

प्रतिलिपि:—महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / *आई०टी०* प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / में जी०ए०च०ए०स०पी०ए०ल० मुजफ्फरपुर सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर एल०ए०ल०पी०, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.18
उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।